


उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

जमुआ अंचल के अन्तर्गत 132KVD/C गिरिडीह जमुआ ट्रॉसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

क्र0	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा(हे0 में)
1	गिरिडीह	गिरिडीह	लेहपिट्टी	108	97	853	1.356
2					97	896	1.555
3					87	898	0.270
4					97	892	0.962
5					97	900	0.469
6			जीतपुर	110	5	183	0.767
7					5	212	0.205
8					5	213	0.044
9					5	234	0.173
10					5	417	0.449
11					5	485	0.421
12					5	486	1.026
13			पहाड़पुर	125	13	152	0.001
14					13	314	0.227
15					13	322	0.451
16			नावाडीह	75	46	2	0.173
17			खावा	71	79	2195	0.973
कुल=							9.522

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 9.522 हे0 में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर हैं, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।



उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1229 दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपि: विधुत अधीक्षण अभियन्ता, संचरण अंचल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, गिरिडीह।